**उत्तर प्रदेश शासन**

**उद्यान अनुभाग**

**संख्या- 41/2023/2159/58-2023/1739047-2023**

**लखनऊ : दिनांकः 06 सितम्बर, 2023**

**शुद्धि पत्र**

वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन योजना में भारत सरकार से अवमुक्त केन्द्रांश रू0-983.00 लाख के सापेक्ष 40 प्रतिशत अनिवार्य राज्यांश एवं अतिरिक्त राज्यांश की धनराशि को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0-2656.90 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शासनादेश सं0-38/2023/2016/58-2023/1739047-2023, दिनांक 04.09.2023 द्वारा प्रदान की गयी है।

**2-** निदेशक, उद्यान द्वारा अपने पत्र दिनांक 05-09-2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत योजना का संचालन एस.एन.ए. खाते के माध्यम से किया जा रहा है। जिसमें अवमुक्त केन्द्रांश तथा राज्यांश को एकमुश्त आहरित कर एस.एन.ए. खाते में अंतरित किया जाता है, तथा विन्दु संख्या-14 में इंगित पोस्ट हार्वेस्ट योजना का पर ड्राप मोर क्राप योजना से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः प्रश्नगत शर्त के प्रभावी रहते हुए धनराशि का कोषागार से अन्तरण संभव नहीं हो पायेगा। यह भी अवगत कराया गया है कि व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.NO.1(13)PFMS/FCD/2020 दिनांक 23.03.2021 के प्रस्तर-16 के अनुसार भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश 21 दिनों के अन्दर सम्बन्धित एस.एन.ए. खाते में हस्तान्तरण कराया जाना निर्धारित है।

3- अतएव उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 04.09.2023 के बिन्दु संख्या-12, 13 एवं 14 में त्रुटिवश निम्नवत् उल्लिखित शर्तों को विलोपित समझा जायेः-

12. निदेशक, उद्यान विभाग सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें।

13. विभागाध्यक्षों/वित्त नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

14. उक्त धनराशि का भुगतान व उपयोग प्राथमिकता के आधार पर पोस्ट हार्वेस्ट के कार्यों में किया जाय।

https://shasanadesh.up.gov.in

4- इस प्रकार उक्त शासनादेश दिनांक 04.09.2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष व्यवस्था एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

**(बाल कृष्ण त्रिपाठी)**
विशेष सचिव।

**संख्या- 41/2023/2159(1)/58-2023, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, प्रयागराज ।
(4) संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

**(संकठा प्रसाद)**
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in